भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *133

गुरूवार, 28 जुलाई, 2022/6 श्रावण, 1944 (शक)

कोविड-19 के प्रकोप के बाद महिलाओं में बेरोजगारी

***133. श्री संजय राउतः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से देश में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में तीव्र गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश की जनसंख्या में 48 प्रतिशत महिलाएँ हैं, किंतु सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान मात्र लगभग 17 प्रतिशत है जबकि चीन के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का 40 प्रतिशत योगदान है; और

(घ) यदि हाँ, तो कामकाजी महिलाओं के भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"कोविड-19 के प्रकोप के बाद महिलाओं में बेरोजगारी" के संबंध में श्री संजय राउत द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 28-07-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *133 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। पीएलएफएस के तहत शहरी क्षेत्र की तिमाही रिपोर्टें भी जारी की जाती है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी शहरी क्षेत्र के लिए त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के दौरान, शहरी श्रम बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। अप्रैल-जून, 2020 के दौरान शहरी क्षेत्र में महिला बेरोजगारी दर बढ़कर 21.1% हो गई। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की बाद की तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ महिलाओं के लिए श्रम बाजार के संकेतकों में तेजी से सुधार दिखाई दिया। शहरी क्षेत्र के लिए पीएलएफएस (जनवरी-मार्च, 2022) की नवीनतम तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, महिला बेरोजगारी दर घटकर 10.1% रह गई है। इसके साथ-साथ वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की सामान्य स्थिति आधार पर समग्र अनुमानित महिला बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 5.1%, 4.2% और 3.5% थी। यह, इस अवधि के दौरान महिला बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट को दर्शाता है।

उपलब्ध जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार, महिला जनसंख्या लगभग 48.5% थी। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर अनुमान, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं तथा लिंग आधारित जीडीपी जारी नहीं की जाती है। कुछ अध्ययन दर्शाते है कि अधिकांश महिलाएं काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में किसी न किसी रूप में योगदान करती हैं, उनके अधिकांश कार्यों का दस्तावेजीकरण या इन्हें आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है और इस प्रकार महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है। हालांकि, दिनांक 12.07.2022 को, स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के कुल पंजीकरण में से 52.84% महिलाएं हैं।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में अनेकों सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान नियोक्ता द्वारा, मजदूरी से संबंधित मामलों में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ-साथ रोजगार प्रदान करने के मामले में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्यों के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि वहां इस तरह के कार्यों में महिलाओं का रोजगार, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध न हो।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****